दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 21.01.2025

<u>आ.प्र.अ.(मू.वा.) (वाणि.) 61/2019</u>
<u>FAO(OS) (COMM) 61/2019</u>

नेक्स्ट जेनरेशन बिज़नेस पावर्स सिस्टम्स लिमिटेड ..... अपीलार्थी

बनाम

टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री टी.एस. आहूजा, श्री वरुण एस. आहूजा और सुश्री रिधि कपूर, अधिवक्तागण
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री रतन के. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री निखलेश कृष्णन, सुश्री रितिका प्रिया, श्री अभिषेक भूषण सिंह, अधिवक्तागण

कोरम:
माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री तारा वितस्ता गंजू

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. तारा वितस्ता गंजू:</u>

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना.....2

अपीलार्थी की दलीलें.....8

प्रत्यर्थी की दलीलें.....10

विश्लेषण और निष्कर्ष.....14

ब्याज सहित 60.01 लाख रुपये की कटौती की गई राशि के लिए दावा.....14

ए.टी.एस. सहायता के लिए 14,64,203 रुपये का दावा.....38

32वीं तिमाही के लिए दावा.....50

निष्कर्ष.....55

<u>प्रस्तावना</u>

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37(1)(ग) [जिसे इसके बाद "ए एंड सी अधिनियम" कहा गया है] के तहत, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मू.वि.या. (वाणि.) 17/2017, शीर्षक ***दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस पावर सिस्टम्स लिमिटेड*** में पारित दिनांक 22.01.2019 निर्णय [जिसे इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" कहा गया है] के विरुद्ध दायर की गई। आक्षेपित

निर्णय द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा पारित 23.08.2014 के पंचाट [जिसे इसके बाद "मध्यस्थता पंचाट" कहा गया है] को आंशिक रूप से बरकरार रखा है।

2. प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आ.प्र.अ.(मू.वा.) (वाणि.) 171/2019, शीर्षक ***टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) बनाम एन.जी.बी.पी.एस. लिमिटेड*** से एक अपील भी दायर की गई थी। 28.05.2024 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के पक्ष में जमा की गई राशि को जारी करने के निर्देश दिए गए थे।

3. आरंभ में ही और जैसा कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 16.05.2019 को पारित आदेश में दर्ज है, वर्तमान अपील में अपीलार्थी द्वारा चुनौती केवल तीन निष्कर्षों तक ही सीमित थी;

(i) 60,01,890/- रुपये की कटौती/रोकी गई राशि के साथ उस पर ब्याज का दावा;

(ii) वार्षिक तकनीकी सहायता (ए.टी.एस.) के संबंध में 31वीं तिमाही में काटी गई 14,64,203/- रुपये की राशि का दावा;

(iii) 32वीं तिमाही के संबंध में काटी गई 35,00,000/- रुपये की राशि का दावा।

4. गुजरात सरकार (जिसे इसके बाद "जी.ओ.जी." कहा गया है) ने 15.03.2002 के समझौते के तहत प्रत्यर्थी को गुजरात राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क परियोजना (जिसे इसके बाद जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना कहा गया है) के निष्पादन स्तर की निगरानी और रिपोर्टिंग सहित तृतीय पक्षकार के निरीक्षण के लिए अनुबंध प्रदान किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 18.04.2002 को अपीलार्थी के साथ जी.ओ.जी. की जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना (जिसे इसके बाद "समझौता" कहा गया है) के लिए उप-परामर्श प्रदान करने का समझौता किया। प्रत्यर्थी को उप-परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के इस समझौते के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।

5. समझौते की प्रमुख शर्तें यह थीं कि यह समझौता 14.04.2010 तक (लगभग 8 वर्ष) लागू रहेगा और इसमें समझौते के विस्तार का प्रावधान भी होगा। समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 के अनुसार, अपीलार्थी समय-समय पर जारी किए गए चालानों के आधार पर 8 वर्षों या 32 तिमाहियों की अवधि के लिए 35,00,000/- रुपये की त्रैमासिक गारंटीकृत राजस्व राशि प्राप्त करने का हकदार था।

6. दिनांक 14.04.2010 को समझौते की समाप्ति/अवधि समाप्त होने पर, जी.ओ.जी. द्वारा मैसर्स पी.सी.एस. टेक्नोलॉजी लिमिटेड [जिसे इसके बाद

"पी.सी.एस." कहा गया है] नामक एक तृतीय-पक्षकार एजेंसी को जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना को संभालने के लिए नियुक्त किया गया था।

7. अपीलार्थी का मामला यह है कि विवाद 20वीं तिमाही के बाद उत्पन्न हुए, क्योंकि तब तक प्रत्यर्थी अपीलार्थी को समय पर भुगतान कर रहा था। हालाँकि, 21वीं से 31वीं तिमाही के बीच, प्रत्यर्थी ने देय भुगतानों में से 60,01,890 रुपये की राशि अवैध रूप से रोक ली।

8. प्रत्यर्थी को 12.07.2010 को 1,30,01,890/- रुपये की राशि की माँग करते हुए एक माँग नोटिस भेजा गया। इसके बाद, 29.07.2010 को प्रत्यर्थी ने बैंक गारंटी का उपयोग किया, जो प्रत्यर्थी के पास सुरक्षा के रूप में 14,00,000/- रुपये की राशि में उपलब्ध थी।

9. पक्षकारों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए एक मध्यस्थ [जिसे इसके बाद "एकल मध्यस्थ" कहा गया है] नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित दावे किए हैं:

> (i) प्रत्यर्थी द्वारा अवैध और गैरकानूनी रूप से रोकी गई बिल राशि के भुगतान का दावा; 60,01,890/- रुपये, भुगतान की तिथि तक 15.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित।
>
> (ii) 15 जनवरी 2010 से 14 अप्रैल 2010 की तिमाही के लिए 35,00,000/- रुपये के गारंटीकृत त्रैमासिक भुगतान का दावा।

(iii) नव नियुक्त ठेकेदार मैसर्स पी.सी.एस. टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कर्मचारियों को परिचित कराने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता और तकनीकी कर्मचारियों को तैनाती जारी रखने और 15 अप्रैल 2010 से 14 जुलाई 2010 की अवधि के लिए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना को नए ठेकेदार को सौंपने के लिए 35,00,000/- रुपये का दावा।

(iv) प्रत्यर्थी द्वारा बैंक गारंटी के भुनाए जाने के कारण 14,00,000/- रुपये के भुगतान का दावा।

(v) प्रत्यर्थी के पास लंबित 3,50,000/- रुपये की बीमा बैंक गारंटी जारी करने का दावा।

(vi) वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए दावेदार के बिलों से प्रत्यर्थी द्वारा रोकी गई ब्याज राशि के लिए 21,630/- रुपये का दावा, जिस पर प्रत्यर्थी को टी.डी.एस. प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(vii) उपरोक्त दावे (ii) से दावे (vi) के तहत देय राशि पर दावेदार को भुगतान की तिथि तक 15.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का दावा।

(viii) मध्यस्थता कार्यवाही का खर्च।

9.1 प्रत्यर्थी ने इन दावों का विरोध किया। प्रत्यर्थी का तर्क था कि अपीलार्थी में शुरू से ही विशेषज्ञता, क्षमता और संसाधनों की कमी पाई गई थी, लेकिन 21वीं तिमाही से उसने अपने कुछ कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में विफल

रहा, जिसके कारण जी.ओ.जी. ने कमियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रत्यर्थी पर जुर्माना लगाया। चूँकि जी.ओ.जी. ने प्रत्यर्थी को किए गए भुगताओं से राशियाँ काटी, इसलिए प्रत्यर्थी ने आनुपातिक रूप से अपीलार्थी को किए गए भुगतान को काट लिया। प्रत्यर्थी का तर्क था कि उसने अनुबंध के तहत किए गए भुगतान में से अपीलार्थी द्वारा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन न करने और जी.ओ.जी. द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण की गई कटौतियों को घटाकर भुगतान किया है।

10. मध्यस्थता पंचाट द्वारा, एकल मध्यस्थ ने पाया कि अपीलार्थी 1,18,28,385 रुपये की राशि वसूल करने का हकदार है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है:

(i)	तिमाही 21 से 24 और 26 से 31 के दौरान रोकी गई राशि की वापसी	51,81,755/ रूपये
(ii)	तिमाही 32 के लिए भुगतान	35,00,000/ रूपये
(iii)	सेवाओं की विस्तारित अवधि के लिए देय राशि	17,25,000/ रूपये
(iv)	निष्पादन बैंक गारंटी गलत तरीके से भुनाई गई	14,00,000/ रूपये
(v)	टी.डी.एस. के कारण	21,630/ रूपये
	कुल	1,18,28,385/ रूपये

10.1 3,50,000/- रुपये की बैंक गारंटी जारी करने के निर्देश भी पारित किए गए। एकल मध्यस्थ ने 01.08.2010 से भुगतान होने तक 15.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी आदेश दिया। अपीलार्थी को 1,00,000/- रुपये का जुर्माना भी दिया गया।

11. मध्यस्थता पंचाट को प्रत्यर्थी ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों के दावों की जाँच करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी 21वीं से 24वीं और 26वीं से 31वीं तिमाही की अवधि के लिए धनवापसी का हकदार नहीं है, सिवाय उस राशि के जो समझौते की अनुसूची IV के खंड 4 और 6 के तहत कटौती योग्य राशि से अधिक है। आक्षेपित निर्णय ने उस निर्णय को भी अपास्त कर दिया जिसमें ई-हेल्थ सूट सॉफ्टवेयर के लिए ए.टी.एस. के रूप में 14,64,203 रुपये की राशि अपीलार्थी को प्रदान की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 32वीं तिमाही के लिए 35,00,000 रुपये के दावे को भी अपास्त कर दिया। हालाँकि, शेष दावों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।

<u>अपीलार्थी के तर्क</u>

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच हुए समझौते का पक्षकार नहीं था और इसलिए प्रत्यर्थी के

प्रधान नियोक्ता की मनमाना कार्रवाई और जी.ओ.जी. के साथ विवादों को सुलझाने में प्रत्यर्थी की असमर्थता के लिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसने समझौते के तहत 8 वर्षों तक चौबीसों घंटे, सातों दिन (24 x 7/365) सेवाएँ प्रदान कीं और प्रत्यर्थी को विस्तृत निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत कीं। इस अवधि के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा निगरानी सेवाओं में कोई कमी नहीं पाई गई। अतः, यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी को पूर्ण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

12.1 आगे यह भी तर्क दिया गया कि समझौते में अपीलार्थी को गारंटीकृत राजस्व भुगतान करने का एक खंड शामिल था और समझौते में खंड की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि अपीलार्थी को भुगतान केवल जी.ओ.जी. से प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

12.2 इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थता पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध नहीं था और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं था।

12.3 अंत में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने यह प्रकथित किया कि प्रत्यर्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी को वार्षिक तकनीकी सेवाएँ/उन्नयन (अपग्रेडेशन) प्रदान करना अनिवार्य था, सही नहीं है। समझौते में न तो रखरखाव

का कोई अनुबंध था और न ही अपीलार्थी की ओर से किसी दायित्व का प्रावधान था। अपीलार्थी ने पहले ही प्रत्यर्थी को "ई-हेल्थ" सॉफ्टवेयर सूट प्रदान कर दिया था और दोनों पक्षकारों के बीच अनुबंध की अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। एकल मध्यस्थ ने दस्तावेजों की जाँच की और पाया कि सॉफ्टवेयर का वार्षिक तकनीकी समर्थन एक संविदात्मक दायित्व नहीं था और इसलिए यह अभिनिर्धारित किया कि 14,64,203 रुपये की कटौती उचित नहीं थी। इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

12.4 अपीलार्थी ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ के ***नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हरविंदर सिंह एंड कंपनी***[1] नामक मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें दो पक्षकारों के बीच इसी तरह के एक के बाद एक (बैक-टू-बैक) समझौते में समन्वय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उप-ठेकेदार का मुख्य ठेकेदार के साथ कोई अनुबंध संबंध नहीं था और उप-ठेकेदार को भुगतान से वंचित करने के लिए खंडों की व्याख्या करना, केवल इसलिए कि मुख्य नियोक्ता ने ठेकेदार को भुगतान नहीं किया, घोर अन्यायपूर्ण होगा।

<u>प्रत्यर्थी के तर्क</u>

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जी.ओ.जी. ने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना का अनुबंध प्रत्यर्थी को दिया था और अनुबंध

[1] 2018 SCC Online Del 9573

में यह प्रावधान था कि जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त होने पर ही भुगतान जारी किया जाएगा। चूँकि जी.ओ.जी. ने प्रत्यर्थी को प्रदत्त सेवाओं के लिए भुगतान काट लिया था, इसलिए प्रत्यर्थी *"बैक-टू-बैक"* अनुबंध होने के कारण अपीलार्थी के चालानों से आनुपातिक रूप से ऐसे भुगतान में कटौती करने के लिए बाध्य था।

13.1 प्रत्यर्थी ने यह भी तर्क दिया कि जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना एक बैक-टू-बैक अनुबंध था जिसके आधार पर अपीलार्थी के साथ समझौता किया गया था, और प्रत्यर्थी ने जनशक्ति की तैनाती में अपने द्वारा किए गए आनुपातिक जुर्माने और लागत तथा "ई-हेल्थ सूट" सॉफ्टवेयर सहायता करने में वार्षिक तकनीकी सहायता (जिसे इसके बाद "ए.टी.एस." कहा गया है) की लागत को काट लिया। आगे यह भी कहा गया कि जी.ओ.जी. से पिछली तिमाही का भुगतान इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अपीलार्थी समझौते के अनुसार "ई-हेल्थ सूट" सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट करने और उसे सौंपने में विफल रहा था। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है और प्रत्यर्थी द्वारा की गई कटौती अपीलार्थी द्वारा समझौते के उल्लंघन के कारण हुई है।

13.2 प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सभी भुगतान प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त होने पर अपीलार्थी को किए जाने थे। समझौते की अनुसूची IV के खंड 9 और 11(ङ) पर भरोसा

करते हुए, यह कहा गया कि खंड में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार, समझौते में जी.ओ.जी. द्वारा कटौती के कारण कटौती करने का प्रावधान था।

13.3 प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रकथन किया कि ए.टी.एस. का प्रावधान न होने के कारण 14,64,203/- रुपये की कटौती एकल मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से की गई थी। समझौते की अनुसूची IV के खंड 15 के अनुसार, अपीलार्थी को बिना किसी दायित्व के सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनुअल, टाइटल और अन्य संबंधित कार्य प्रत्यर्थी को हस्तांतरित करने थे। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने 09.11.2009 की बैठक के कार्यवृत्त और 17.11.2009 के पत्र के अनुसार ए.टी.एस. सहायता प्रदान करने के अपने दायित्वों को स्वीकार किया था। चूँकि सेवाएं प्रदान नहीं की गईं, इसलिए प्रत्यर्थी के पास कटौती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

13.4 जहाँ तक 32वीं तिमाही के लिए 35,00,000/- रुपये की राशि के भुगतान न होने का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जी.ओ.जी. ने "ई-हेल्थ सूट" सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अपग्रेडेशन और पूर्ण हस्तांतरण लंबित होने के कारण पिछली तिमाही के लिए प्रत्यर्थी के भुगतान को रोक रखा था। पक्षकारों के बीच बैक-टू-बैक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, जी.ओ.जी. द्वारा प्रत्यर्थी

को 32वीं तिमाही के भुगतान जारी न किए जाने के कारण, प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान को रोकना उचित था।

13.5 अंत में, यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थता पंचाट स्पष्ट रूप से अवैध था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के दायरे में इसमें उचित हस्तक्षेप किया। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए ***नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन*** का मामला तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

14. प्रत्युत्तर में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि उसकी ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। यह तर्क दिया गया कि ए.टी.एस. की कटौती मनमानी थी क्योंकि पक्षकारों के बीच समझौता 02.06.2010 को समाप्त हो चुका था और एक बार समझौता समाप्त हो जाने के बाद, अपीलार्थी पर संविदात्मक अवधि की बाद सेवाएँ या कोई सॉफ़्टवेयर/ए.टी.एस. प्रदान करने का कोई दायित्व नहीं था। इसलिए, ए.टी.एस. के कारण कोई कटौती नहीं हो सकती है।

14.1 इसके अतिरिक्त यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी के साथ समझौता तृतीय-पक्षकार को निगरानी प्रदान करने के लिए था, जिसके लिए उसने सॉफ़्टवेयर खरीदा था। अपीलार्थी ने वर्ष 2007 में "ई-हेल्थ सूट" सॉफ़्टवेयर का नवीनतम संस्करण खरीदा था और सॉफ़्टवेयर को प्रत्यर्थी को प्रदान किए गए हार्डवेयर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था। अपीलार्थी सॉफ़्टवेयर का अद्यतन संस्करण प्रदान

करने के लिए बाध्य नहीं था क्योंकि सॉफ़्टवेयर समझौते के तहत सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त था और समझौते में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था।

15. मध्यस्थता पंचाट की जाँच करने के बाद, माननीय एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी के कुछ दावे मान्य नहीं हो सकते हैं, जिसे अपीलार्थी ने चुनौती दी है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

16. जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील में अपनी चुनौती को आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश के तीन (3) निष्कर्षों तक ही सीमित रखा है, जिसमें मध्यस्थता पंचाट द्वारा दिए गए दावों के कुछ भागों को अपास्त कर दिया गया है।

60.01 लाख रूपये की कटौती गई रक़म के लिए ब्याज सहित दावा

17. एकल मध्यस्थ ने पक्षकारों के बीच अभिवचनों और दस्तावेजों की जाँच करने के बाद पाया कि पक्षकारों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि अपीलार्थी तिमाही भुगतानों के लिए अपने चालान प्रस्तुत करता रहा है और उसे 20वीं तिमाही तक पूरा भुगतान प्राप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद, प्रत्यर्थी द्वारा 21वीं से 31वीं तिमाही तक कटौती की गई, क्योंकि प्रत्यर्थी के भुगतानों में जी.ओ.जी. द्वारा कटौती की गई थी।

17.1 एकल मध्यस्थ ने समझौते की धाराओं की जाँच की और पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. को प्रदान किए जाने वाले कार्य के दायरे में एक अतिरिक्त जिम्मेदारी शामिल थी। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच हुए समझौते और प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच हुए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के अनुबंध की तुलना करने पर पाया गया कि जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना समझौते में एक अतिरिक्त खण्ड - खण्ड 11 थी। जबकि अपीलार्थी को केवल प्रत्यर्थी की "सहायता" करनी थी, प्रत्यर्थी पर नेटवर्किंग संबंधी मुद्दों पर परामर्श प्रदान करने का अतिरिक्त दायित्व था। मध्यस्थता पंचाट के पैराग्राफ 17 को उद्धृत करना उचित होगा, जिसमें इस पर नीचे चर्चा की गई है:

> *"17. **पक्षकारों के बीच हुए समझौते और प्रत्यर्थी तथा गुजरात सरकार के बीच हुए समझौते में उल्लिखित कार्यक्षेत्र की तुलना से पता चलता है कि दावेदार का कर्तव्य खंड 1 से 10 में विस्तृत रूप से वर्णित प्रत्यर्थी को उसकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में 'सहायता' करना था, लेकिन प्रत्यर्थी तथा गुजरात सरकार के बीच हुए समझौते का खंड 11 पक्षकारों के बीच हुए समझौते में शामिल नहीं किया गया था।** खंड 11 नीचे उद्धृत की गई है:*
>
> > *"11. - टी.पी.ए. न केवल टीपीए के रूप में कार्य करेगा बल्कि समझौते की अवधि तक विभिन्न नेटवर्किंग मुद्दों पर जी.ओ.जी. के सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा।"*
>
> *उपरोक्त से स्पष्ट है कि दावेदार को सौंपा गया कार्य **केवल टी.पी.ए. के रूप में प्रत्यर्थी के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने तक ही सीमित था, और नेटवर्किंग संबंधी मुद्दों पर परामर्श का कार्य उसे***

> ***<u>नहीं सौंपा गया था।</u>*** *पक्षकारों के बीच हुए समझौते की प्रारंभिक पंक्तियों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह समझौता निष्पादन स्तर की निगरानी और रिपोर्टिंग सहित जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. के तृतीय पक्षकार के निरीक्षण के लिए प्रत्यर्थी को उप-परामर्श प्रदान करने के लिए है।* ***<u>इसकी अनुसूची 1 में यह भी निर्दिष्ट है कि दावेदार को देय सेवा शुल्क गुजरात राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क के तृतीय पक्षकार के निरीक्षण के लिए उप-परामर्श शुल्क था।</u>***
>
> [जोर दिया गया]

17.2 एकल मध्यस्थ ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 के अनुसार, दिनांक 11.04.2002 के आशय पत्र और समझौते में "गारंटीकृत भुगतान" शब्द का प्रयोग पक्षकारों के आशय को स्पष्ट करता है और यह प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. से प्राप्त किए जाने वाले भुगतानों से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही उन पर निर्भर है, और इस प्रकार पक्षकारों के स्पष्ट शब्दों और आशय को प्रभावी किया जाना चाहिए।

18. विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष से असहमत थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 में "गारंटीकृत राजस्व भुगतान" शब्द का प्रयोग किया गया है। हालाँकि, चूँकि खंड 11 में कहा गया है कि भुगतान "जी.ओ.जी. से टी.सी.आई.एल. भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर" जारी किया जाएगा, इसलिए इसका अर्थ यह निकाला जाना

चाहिए कि अपीलार्थी भुगतान प्राप्त करने का तभी हकदार था जब जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त हुआ हो, अन्यथा नहीं।

18.1 विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे अभिनिर्धारित किया कि समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 में *"गारंटीकृत राजस्व भुगतान"* शब्द का प्रयोग समझौते की अनुसूची I के अनुसार किया गया है। हालाँकि, चूँकि खंड 11 में आगे यह कहा गया है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के तिमाही बिल के आधार पर जी.ओ.जी. को अपने बिल प्रस्तुत करेगा, इसलिए इस खंड का अर्थ यह होगा कि अपीलार्थी भुगतान प्राप्त करने का हकदार *"तभी होगा जब"*, जब प्रत्यर्थी को जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त होगा। इसलिए, यदि प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच कोई विवाद होता है, तो अपीलार्थी ऐसे भुगतान को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। माननीय एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को भेजे गए दिनांक 27.05.2009 के एक पत्र पर भी भरोसा किया, जिसमें अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि समझौता एक *"बैक-टू-बैक"* समझौता है। माननीय एकल न्यायाधीश ने पाया कि एकल मध्यस्थ ने समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 की व्याख्या करते समय दिनांक 27.05.2009 के इस पत्र का उल्लेख नहीं किया था, और इस प्रकार, पक्षकारों के बीच हुए समझौते की गलत व्याख्या की गई है। आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

*35. उपरोक्त निष्कर्ष को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मध्यस्थ की राय में, **'टी.सी.आई.एल. द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर' शब्दों को 'केवल तभी' या 'केवल यदि' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जब टी.सी.आई.एल. को भुगतान प्राप्त हो।** मध्यस्थ ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते में भुगतान खंड में 'गारंटीकृत' शब्द को जोड़ने का उचित अर्थ/महत्व दिया जाना चाहिए और यह पक्षकारों के आशय को स्पष्ट करता है तथा इसका टी.सी.आई.एल. द्वारा सरकार से प्राप्त होने वाले भुगतान से कोई संबंध नहीं है और न ही यह उस पर निर्भर है।*

xx xx xx

*43. वर्तमान मामले में, अनुसूची I में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को किए जाने वाले एक निश्चित त्रैमासिक भुगतान का प्रावधान है। इसी आलोक में **अनुसूची IV के खंड 11 में 'अनुसूची I के अनुसार गारंटीकृत राजस्व भुगतान' शब्द का प्रयोग किया गया है।** हालाँकि, खण्ड 11 में स्पष्ट रूप से आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता उप-सलाहकार (प्रत्यर्थी) के तिमाही बिल के आधार पर अपने बिल जी.ओ.जी. को जमा करेगा और प्रत्यर्थी को भुगतान 'जी.ओ.जी. से टी.सी.आई.एल. से भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर' जारी किया जाएगा। **अतः, ऐसे खंड का अर्थ केवल यही हो सकता है कि प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता से भुगतान प्राप्त करने का हकदार तभी होगा जब याचिकाकर्ता को जी.ओ.जी.से भुगतान प्राप्त होगा।***

xx xx xx

*45. इसलिए, उपरोक्त संदर्भित निर्णयों के अनुसार, **प्रत्यर्थी को भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था अगर किसी विवाद के कारण याचिकाकर्ता को जी.ओ.जी. से ऐसा भुगतान प्राप्त नहीं हुआ हो।***

xx xx xx

*54. उपरोक्त पत्र **<u>प्रत्यर्थी की ओर से स्पष्ट स्वीकृति है कि अनुबंध बैक टू बैक आधार पर था और याचिकाकर्ता को यह अधिकार था कि यदि जी.ओ.जी. याचिकाकर्ता को देय राशि रोकती है तो वह प्रत्यर्थी को देय राशि रोक सकता है।</u>** मध्यस्थ ने खंड 11 की व्याख्या करते समय उक्त दस्तावेज़ का स्पष्ट रूप से कोई संदर्भ नहीं दिया है और पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध की गलत व्याख्या की है, जिसमें भुगतान करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है, जबकि प्रत्यर्थी को ऐसा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।*

[ज़ोर दिया गया]

19. 60,01,890/- रुपये की राशि रोके जाने के पहलू पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने हांगकांग उच्च न्यायालय विशेष प्रशासन और संयुक्त राज्य अमेरिका की अपील न्यायालय के उन निर्णयों पर भरोसा किया, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध में "बैक-टू-बैक" भुगतान की व्याख्या करने के लिए उद्धृत किया गया था, और यह निष्कर्ष दिया कि यह अनुबंध में किसी विशेष खंड की व्याख्या का मामला है जो यह निर्धारित करता है कि क्या खंड (बैक टू बैक) या केवल मूल नियोक्ता से भुगतान प्राप्त होने पर ऐसे भुगतान के लिए एक समय निर्धारित करता है। आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

36. टिमली कंस्ट्रक्शन (पूर्वोक्त) में, हांगकांग उच्च न्यायालय 'बैक टू बैक पेमेंट' के प्रावधान वाले एक समझौते की व्याख्या की थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी विशेष अनुबंध में प्रयुक्त किसी भी शब्द की व्याख्या उस परिस्थिति पर निर्भर करती है जिसमें समझौता किया गया है। 'बैक टू बैक पेमेंट' का व्यापार में आमतौर

*पर प्रयुक्त कोई विशेष अर्थ नहीं है और इसलिए, किसी एक व्याख्या को दूसरी पर प्राथमिकता देने वाला कोई लागू कानूनी सिद्धांत नहीं है। **अंततः, न्यायालय का कार्य वस्तुनिष्ठ रूप से यह पता लगाना है कि समझौते की परिस्थितियों में पक्षकारों का उस वाक्यांश के उपयोग से क्या तात्पर्य था।** ऐसा कहने के बाद, न्यायालय ने उस मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में उक्त शब्द की व्याख्या की। **यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समझौते में प्रयुक्त शब्दों की कोई निश्चित व्याख्या नहीं है और समझौते की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के आशय के आधार पर, शब्दों का अर्थ भुगतान का समय या भुगतान का अधिकार हो सकता है।***

xx xx xx

*41. **याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा किया गया है,** उन्हें पढ़ने से **स्पष्ट होता है कि यद्यपि किसी विशेष खंड की व्याख्या से यह निर्धारित किया जा सकता है कि अनुबंध में वह खंड उप-ठेकेदार को भुगतान की शर्त प्रदान करता है या केवल भुगतान का समय निर्धारित करता है,** फिर भी वे खंड जिनमें यह निर्धारित है कि मुख्य नियोक्ता से भुगतान प्राप्त होने पर उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा, उनकी व्याख्या उप-ठेकेदार के भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को निर्धारित करने के रूप में की गई है, न कि भुगतान के समय को।*

[ज़ोर दिया गया]

19.1 विद्वान एकल न्यायाधीश ने एकल मध्यस्थ द्वारा समझौते की जाँच और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी को तिमाही कटौती करने की अनुमति थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने

समझौते की अनुसूची IV के खंड 9 और 11 पर भी भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ये खंड पक्षकारों के बीच एक 'बैक-टू-बैक' व्यवस्था को दर्शाते हैं और अपीलार्थी इन खंडों के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य था। इस प्रकार विद्वान एकल न्यायाधीश ने एकल मध्यस्थ के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की और पक्षकारों के बीच कोई *'बैक-टू-बैक व्यवस्था'* न होने की एकल मध्यस्थ की व्याख्या को पलट दिया।

20. पक्षकारों के बीच हुए समझौते में चार अनुसूचियाँ शामिल हैं। अनुसूची I पारिश्रमिक की अनुसूची है; अनुसूची II में वे दस्तावेज़ दिए गए हैं जो समझौते के भाग हैं; अनुसूची III में कार्यक्षेत्र दिया गया है; और अनुसूची IV में सामान्य निबंधन और शर्तें दी गई हैं। पक्षकारों के तर्कों की जाँच करने के लिए, इस न्यायालय ने इन अनुसूचियों का अध्ययन किया है। अनुसूची I में अपीलार्थी को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का उल्लेख है, जबकि कार्यक्षेत्र अनुसूची III में निर्धारित है। अनुसूची IV में अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच हुए अनुबंध की अतिरिक्त शर्तें शामिल हैं। अनुसूची II में वे दस्तावेज़ दिए गए हैं जो समझौते का हिस्सा हैं और इसमें 15.03.2002 का समझौता भी शामिल है, जो जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी [जिसे इसके बाद "जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध" कहा गया है] के बीच निष्पादित किया गया था।

20.1 एकल मध्यस्थ ने समझौते में निर्धारित कार्यक्षेत्र की जाँच की और उसकी तुलना प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच हुए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध के कार्यक्षेत्र से की। उन्होंने पाया कि जी.ओ.जी. के साथ हुए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध में एक अतिरिक्त दायित्व - खंड 11 - शामिल है, जबकि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच हुए समझौते की अनुसूची III में कार्यक्षेत्र में 10 खंड हैं। इस प्रकार, दोनों समझौतों के कार्यक्षेत्र की तुलना करने पर, एकल मध्यस्थ ने पाया कि प्रत्यर्थी के पास अतिरिक्त कार्य था। इसका स्पष्टीकरण मध्यस्थता पंचाट के पैराग्राफ 17 में दिया गया है, जिसे उपर पैराग्राफ 17.1 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

20.2 दूसरी ओर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुसूची IV, सामान्य निबंधन एवं शर्तें के खंड 11 पर भरोसा करते हुए कहा कि इस खंड के अनुसार अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के दायित्व एक *"बैक-टू-बैक व्यवस्था"* था।

21. समझौते के अनुसार, कार्यक्षेत्र अनुसूची IV में नहीं बल्कि अनुसूची III में निर्धारित है। दोनों समझौतों (अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच तथा प्रत्यर्थी एवं जी.ओ.जी. के बीच) में मौजूद कार्यक्षेत्र की तुलना से पता चलता है कि जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के बीच जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध की अनुसूची III के अंतर्गत कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक था। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच का समझौता मूलतः "सहायता" करने से संबंधित था, जबकि प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच का

अनुबंध निरीक्षण/निगरानी/समन्वय आदि करने से संबंधित था। इसके अतिरिक्त, जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध की अनुसूची III के खंड 11 ने प्रत्यर्थी पर एक अतिरिक्त दायित्व भी डाला था।

21.1 इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच हुए समझौते की अनुसूची III, कार्यक्षेत्र तथा जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के बीच जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध में निर्धारित कार्यक्षेत्र को उद्धृत करना उचित होगा, जिसे नीचे दिया गया है:

<u>जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के बीच समझौता</u>

"अनुसूची-III: ***कार्यक्षेत्र***

1. जी.ओ.जी. और ऑपरेटर के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते में निर्धारित तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ***<u>जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. के परिचालन निष्पादन की निगरानी करना।</u>*** *नेटवर्क प्रदर्शन सेवा स्तर प्रबंधन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर उपकरण खरीदे और चालू किए जाने चाहिए।*

2. ***<u>नेटवर्क की नियमित निगरानी करना</u>*** *और किसी भी समस्या के समाधान के लिए ऑपरेटर से समन्वय करना।*

3. सुचारू संचार के लिए निर्बाध पट्टाधुतलाइन (लीज्ड लाइनें) उपलब्ध कराने हेतु ***<u>दूरसंचार विभाग से समन्वय करना</u>****।*

4. साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आधार पर नेटवर्क के अपटाइम और डाउनटाइम से संबंधित ***<u>नियमित एम.आई.एस. रिपोर्ट प्रदान करना</u>****।*

*5. सहमत मापदंडों के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के लिए **नेटवर्क की उपलब्धता प्रमाणित करना**। यह प्रमाणपत्र त्रैमासिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर ऑपरेटर को त्रैमासिक गारंटीकृत राजस्व जारी किया जाएगा।*

*6. **नेटवर्क प्रदर्शन सेवा स्तर प्रबंधन (एन.पी.एस.एल.एम.) सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, उसकी खरीद करना, आपूर्ति करना, स्थापित करना, चालू करना और उसका प्रबंधन करना**, जिसमें निविदा दस्तावेज सं. जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन./टी.पी.आई. /2001-2/आई.टी.डी./03 दिनांक 26/12/2001 में तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट सभी कार्यक्षमताओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी प्रोग्राम शामिल हैं।*

***7. कार्यक्षेत्र में पूर्णतः कार्यात्मक पी.एम.एल.एम. को परिनियोजित करना, स्थापित करना और प्रबंधित करना (जिसमें रिपोर्टिंग, प्रमाणित करना, आदि शामिल हैं) पर केंद्रित होगा।** जी.ओ.जी. को उपरोक्त कार्यक्षमताओं का उपयोग निम्नलिखित के लिए करने में सक्षम होना चाहिए:*

क) तत्वों की पहचान करना

ख) तत्वों की सटीक जानकारी सुनिश्चित करना

ग) तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करना

घ) उन तत्वों पर नियमित रिपोर्ट तैयार करना

ङ) वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से आंतरिक उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

च) यह सुनिश्चित करना कि तैयार की गई रिपोर्ट विभिन्न स्तरों के उपयोगकर्ताओं/दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

छ) यह सुनिश्चित करना कि वेब इंटरफ़ेस सूचना तक पहुंच सुरक्षा का एक सुविधाजनक स्तर प्रदान कर सके।

8. तृतीय पक्षकार एजेंसी (टी.पी.ए.) राज्य से संबंधित जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन./एस.सी.ए.एन. और एस.आई.सी.एन. नेटवर्क या किसी अन्य आईटी नेटवर्क से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का निरीक्षण, सत्यापन/स्वीकृति भी करेगी और समय-समय पर जी.ओ.जी. द्वारा वांछित के अनुसार चालान को प्रमाणित करेगी।

9. विक्रेता नेटवर्क में ट्रैफिक जाम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी जिम्मेदार होगा और संसाधनों और सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए बैंडविड्थ के आवश्यक उन्नयन हेतु जी.ओ.जी. को समय पर सलाह देगा।

10. विक्रेता (टी.पी.ए.) जी.ओ.जी. को मानव संसाधन विकास आवश्यकताओं पर सलाह देगा और प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल पर भी सलाह देगा।

*11. **टी.पी.ए. न केवल टीपीए के रूप में कार्य करेगा बल्कि समझौते की अवधि तक विभिन्न नेटवर्किंग मुद्दों पर जी.ओ.जी. के सलाहकार के रूप में भी कार्य करेगा**।"*

**** *** ****

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौता

"अनुसूची-III: कार्यक्षेत्र

*1. जी.ओ.जी.और ऑपरेटर के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौते में निर्धारित तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. के परिचालन प्रदर्शन की निगरानी में **टी.सी.आई.एल. की सहायता करना**। नेटवर्क प्रदर्शन सेवा स्तर प्रबंधन के लिए उपयुक्त सॉफ़्टवेयर/हार्डवेयर उपकरण प्राप्त करना और उन्हें चालू करना।*

*2. नियमित रूप से नेटवर्क की निगरानी में **टी.सी.आई.एल. की सहायता करना** और किसी भी समस्या के समाधान के लिए ऑपरेटर के साथ समन्वय करना।*

*3. सुचारू संचार के लिए निर्बाध लीज्ड लाइनें उपलब्ध कराने हेतु दूरसंचार विभाग के साथ समन्वय करने में **टी.सी.आई.एल. की सहायता करना**।*

*4. साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक आधार पर अपटाइम और डाउनटाइम से संबंधित नियमित एमआईएस रिपोर्ट प्रदान करने में **टी.सी.आई.एल. की सहायता करना**।*

*5. **टी.सी.आई.एल. को** विभिन्न गतिविधियों के लिए सहमत मापदंडों के आधार पर नेटवर्क उपलब्धता प्रमाणित करने में **सहायता करना**। यह प्रमाणपत्र त्रैमासिक आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर ऑपरेटर को त्रैमासिक गारंटीकृत राजस्व जारी किया जाएगा।*

*6. **टी.सी.आई.एल. को** नेटवर्क प्रदर्शन सेवा स्तर प्रबंधन (एन.पी.एस.एल.एम.) सॉफ्टवेयर के डिजाइन/खरीद, आपूर्ति करने, स्थापित करने, चालू करने और प्रबंधित करने में **सहायता करना**, जिसमें जी.ओ.जी. के निविदा दस्तावेज सं. जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन./टी.पी.आई./2001-2/आई.टी.डी./03 दिनांक 26/12/2001 में तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट सभी कार्यक्षमताओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी प्रोग्राम शामिल हैं।*

7. कार्यक्षेत्र पूरी तरह से कार्यात्मक पी.एम.एल.एम. को परिनियोजित करने, स्थापित करने और प्रबंधित करने (रिपोर्टिंग, प्रमाणित करने आदि सहित) पर केंद्रित होगा। टी.सी.आई.एल./जी.ओ.जी. को उपरोक्त कार्यक्षमताओं का उपयोग निम्न के लिए करने में सक्षम होना चाहिए:

क) तत्वों की पहचान करना।

ख) तत्वों की सटीक जानकारी सुनिश्चित करना।

ग) तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करना।

घ) उन तत्वों पर नियमित रिपोर्ट तैयार करना।

ङ) वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से आंतरिक उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

च) यह सुनिश्चित करना कि तैयार की गई रिपोर्ट विभिन्न स्तरों के उपयोगकर्ताओं/दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

छ) यह सुनिश्चित करना कि वेब इंटरफ़ेस सूचना तक पहुंच सुरक्षा का एक सुविधाजनक स्तर प्रदान कर सके।

*8. तृतीय पक्षकार एजेंसी (टी.पी.ए.) के उप-सलाहकार, राज्य के स्वामित्व वाले **जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन./एस.सी.ए.एन. और एस.आई.सी.एन. नेटवर्क या किसी अन्य आईटी नेटवर्क से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का निरीक्षण, सत्यापन और स्वीकृति भी करेंगे** और समय-समय पर टी.सी.आई.एल. द्वारा आवश्यकता के अनुसार चालान को भी प्रमाणित करेंगे। टी.सी.आई.एल. संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।*

9. उप-सलाहकार नेटवर्क में ट्रैफिक जाम का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी जिम्मेदार होगा और संसाधनों और सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए बैंडविड्थ के आवश्यक उन्नयन हेतु टी.सी.आई.एल. को समय पर सलाह देगा।

*10. **उप-सलाहकार टी.सी.आई.एल. को मानव संसाधन विकास आवश्यकताओं पर भी सलाह देगा** और प्रशासन में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल पर भी सलाह देगा।*

[ज़ोर दिया गया]

21.2 जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध के कार्यक्षेत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी पर जी.ओ.जी. के संबंध में अतिरिक्त उत्तरदायित्व था, और यद्यपि अपीलार्थी को जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के लिए प्रत्यर्थी को सेवाएँ प्रदान करनी थीं, उसका मुख्य दायित्व प्रत्यर्थी की सहायता करना था। कार्य पूर्ण होने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रत्यर्थी पर था, जिसमें सलाहकार के रूप में कार्य करना भी शामिल था। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी के पास कार्यक्षेत्र का अतिरिक्त दायित्व था और अपीलार्थी का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित था और प्रत्यर्थी के कार्य से अलग था।

22. माननीय एकल न्यायाधीश ने अपने इस निष्कर्ष के समर्थन में अनुबंध की अनुसूची IV के खंड 9 पर भरोसा किया है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी और सरकार के बीच हुए अनुबंध की सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक था। अनुबंध की अनुसूची IV का खंड 9 नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"9. एन.जी.बी.पी.एस.एल., टी.सी.आई.एल. और जी.ओ.जी. के बीच हस्ताक्षरित समझौते में उल्लिखित कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, जो जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के लिए तृतीय पक्षकार को निरीक्षण प्रदान करने से संबंधित हैं, साथ ही ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों का भी पालन करेगा।"*

22.1 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समझौते में अपीलार्थी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित किया गया था और यद्यपि यह जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध में प्रत्यर्थी

के कार्यक्षेत्र से मिलता-जुलता था, फिर भी यह अलग था। जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध यह भी दर्शाता है कि प्रत्यर्थी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रत्येक 32 तिमाहियों के लिए 44,184.50 रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा था, जबकि अपीलार्थी को प्रत्येक तिमाही के लिए 35,00,000 रुपये प्राप्त होने थे। अतिरिक्त पारिश्रमिक स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं के लिए था।

23. समझौते की अनुसूची IV (सामान्य निबंधन और शर्तें) का खंड 11 भी पक्षकारों के बीच अनुबंध के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को निर्धारित करता है, जिसमें भुगतान की शर्तें भी शामिल हैं। इन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"11. भुगतान की शर्तें*
>
> ***अनुसूची I के अनुसार गारंटीकृत राजस्व भुगतान***
>
> ***बिल तैयार किए जाएंगे*** *और प्रमाणीकरण और भुगतान के लिए जी.जी.एम. (एन.डब्ल्यू. और टी.सी.), टी.सी.आई.एल. को* ***भेजे जाएंगे****।*
>
> *इस समझौते की शर्तों को लागू करने और टी.सी.आई.एल. तथा इसके उपयोगकर्ता संगठनों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में,* ***एन.जी.बी.पी.एस.एल. को अनुसूची-I में निर्दिष्ट अनुसार त्रैमासिक आधार पर गारंटीकृत राजस्व का भुगतान किया जाएगा।*** *प्रत्येक तिमाही के अंत में, 10% अग्रिम भुगतान को आनुपातिक आधार पर* ***32 (बत्तीस) त्रैमासिक किस्तों में ब्याज सहित समायोजित करने के बाद****।*

इस समझौते की अनुसूची-I के अनुसार भुगतान की गई अग्रिम राशि पर ***<u>अग्रिम राशि के घटे हुए शेष पर 12% की दर से ब्याज लगेगा</u>****।*

एन.जी.बी.पी.एस.एल. द्वारा ***<u>भुगतान के लिए अनुरोध प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों के साथ चालान जमा करने और टी.सी.आई.एल. द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर किया जाएगा:</u>***

क. कार्य-निष्पादन का आँकड़ा

ख. नेटवर्क मापदंडों का लॉग, सेवा डाउनटाइम गणना और अपटाइम प्रतिशत सहित।

ग. सेवा प्रदर्शन के समर्थन में कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज जो सरकार को स्वीकार्य हो।

घ. उप-सलाहकार होने के नाते, एन.जी.बी.एस.पी.एल. सेवा कर भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका हिसाब टी.सी.आई.एल. द्वारा किया जाएगा।

<u>ङ. टी.सी.आई.एल. उप-सलाहकार के त्रैमासिक बिल के आधार पर अपना बिल जी.ओ.जी. को एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगा और एन.जी.बी.एस.पी.एल. को भुगतान सरकार से टी.सी.आई.एल. के भुगतान की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा।</u>

च. यदि टी.सी.आई.एल. इस समझौते के तहत देय भुगतान समय पर करने में विफल रहता है, ***<u>तो कम भुगतान पर देय तिथि से पूर्ण भुगतान की तिथि तक ब्याज दर के साथ 350 आधार अंक अतिरिक्त लगेंगे।</u>*** *यदि भुगतान की देय तिथि रविवार या अवकाश के दिन पड़ती है, तो अगला कार्यदिवस वह अंतिम दिन होगा जिस दिन बिना ब्याज लगाए भुगतान किया जा सकता है ....."*

[ज़ोर दिया गया]

23.1 समझौते की अनुसूची IV का खंड 11 यह बताते हुए शुरू होती है कि गारंटीकृत राजस्व भुगतान अनुसूची I के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त, इसमें यह निर्धारित किया गया है कि गारंटीकृत राजस्व का भुगतान त्रैमासिक आधार पर और अग्रिम रूप से किया जाएगा। खंड 11 में आगे यह प्रावधान है कि अपीलार्थी द्वारा भुगतान के लिए अनुरोध, सहायक दस्तावेजों के साथ चालान प्रस्तुत करके किया जाएगा। इस खंड में यह भी निर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी को प्राप्त अग्रिम भुगतान को समायोजित करने के बाद, प्रत्येक तिमाही के अंत में, आनुपातिक आधार पर 32 त्रैमासिक किस्तों में गारंटीकृत राशि का भुगतान किया जाएगा।

24. सहमत भुगतान पद्धति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, समझौते की अनुसूची IV के खंड 11 को समझौते की अनुसूची I के साथ पढ़ना आवश्यक है। समझौते की अनुसूची I में "पारिश्रमिक अनुसूची" दी गई है और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> ***"अनुसूची-I:*** *पारिश्रमिक अनुसूची*
>
> *मैसर्स एन.जी.बी.एस.पी.एल. का सेवा शुल्क*

मैसर्स एन.जी.बी.एस.पी.एल. गुजरात राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क के तृतीय पक्षकार के निरीक्षण के लिए निम्नलिखित उप-परामर्श शुल्क वसूलेगी;

*क) **<u>समान त्रैमासिक भुगतान शुल्क (8 वर्ष या 32 तिमाहियों की अवधि के लिए)</u>***

राशि अंकों में (रु.)	राशि शब्दों में (रु.)
35,00,000.00 रूपये	केवल पैंतीस लाख रुपये।

निबंधन एवं शर्तें

- *10% अग्रिम भुगतान, जिसे प्रत्येक तिमाही में आनुपातिक आधार पर समायोजित किया जाएगा।*
- *टी.सी.आई.एल., एन.जी.बी.एस.पी.एल. को सेवा कर संख्याएँ और अन्य विवरण प्रदान करेगा।*
- ***<u>भुगतान इस समझौते के खंड 11 (भुगतान शर्तें) के अनुसार किया जाएगा।</u>***
- *एन.जी.बी.एस.पी.एल. समझौते पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर परियोजना शुरू कर देगा।"*

[ज़ोर दिया गया]

24.1 समझौते की अनुसूची-1 में 8 वर्ष/32 तिमाही के लिए 35 लाख रुपये का समान त्रैमासिक भुगतान निर्धारित किया गया है जिसमें 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान होगा और यह भुगतान समझौते की अनुसूची-4 के खंड 11 के अनुसार होगा। समझौते की अनुसूची IV के खंड 11(ङ) में प्रावधान है कि प्रत्यर्थी एक सप्ताह के भीतर जी.ओ.जी. को अपना परामर्श चालान प्रस्तुत करेगा और जी.ओ.जी. को भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को भुगतान

जारी किया जाएगा। अनुसूची IV के खंड 11(च) में विलंब के लिए ब्याज निर्धारित किया गया है जो ऋण दर पर 350 आधार अंकों के साथ अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा देय है। समझौते की अनुसूची IV का खण्ड 11 *"भुगतान शर्तें"* को निर्धारित करती है और समझौते की अनुसूची I के अनुसार *"गारंटीकृत राजस्व भुगतान"* शब्द को संदर्भित करती है।

25. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के उप-सलाहकार के रूप में कार्य करना आवश्यक था, हालाँकि, भुगतान प्राप्ति और दायित्वों के लिए प्रत्यर्थी के साथ उसका अलग समझौता था। अनुसूची IV के खंड 11 में *"गारंटीकृत भुगतान"* शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका उल्लेख अनुबंध की अनुसूची I में भी है। इसमें आगे यह प्रावधान है कि प्रत्येक तिमाही के अंत में चालान और दस्तावेजों की प्रस्तुति पर अपीलार्थी को भुगतान किया जाएगा। खंडों में यह भी निर्धारित है कि विलंबित भुगतान पर ब्याज भी लगाया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह बताता हो कि यदि प्रत्यर्थी को जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो अपीलार्थी को भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रावधान के अभाव में और शेष खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर, हम यह नहीं अभिनिर्धारित नहीं कर सकते हैं कि अनुबंध के खंड यह प्रावधान करते हैं कि यदि प्रत्यर्थी को जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो अपीलार्थी को भी भुगतान नहीं किया जाएगा।

26. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा 27.05.2009 को भेजे गए एक पत्र पर भी भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि इस पत्र में अपीलार्थी द्वारा *"बैक-टू-बैक"* अनुबंध की स्वीकृति थी। हम इससे सहमत नहीं हैं। 27.05.2009 के पत्र में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से गलत तरीके से रोकी गई राशि जारी करने का अनुरोध किया था। यह पत्र लगभग अपीलार्थी द्वारा अपनी राशि जारी करने की निवेदन करने जैसा प्रतीत होता है, जिसमें उसने कहा है कि उसे कम से कम उतनी आनुपातिक राशि दी जानी चाहिए जितनी प्रत्यर्थी को जी.ओ.जी. से प्राप्त हुई है।

27. ***नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन*** मामले में एक समन्वय पीठ ने, जिसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय[2] ने भी बरकरार रखा है, इसी तरह के *"बैक-टू-बैक"* अनुबंध पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनुबंध की शर्तों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि किसी पक्षकार को केवल इसलिए अपने काम के भुगतान से वंचित कर दिया जाए क्योंकि उसे मुख्य नियोक्ता से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि कटौती करने वाले पक्षकार को शिकायत हो सकती है और मुख्य नियोक्ता के विरुद्ध अलग से मुकदमा चलाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसे कटौती पर लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय तब तक हस्तक्षेप करने में संकोच करेंगे जब तक कि ऐसा

[2] वि.अनु.या. (सि.) सं. 24254/2018 में दिनांक 17.09.2018 को दिया गया निर्णय, जिसका शीर्षक नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम हरविंदर सिंह एंड कंपनी है।

निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध, अनुचित और कानून सुस्थापित स्थिति के विपरीत न हो। ***नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन*** मामले का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *24. हम विद्वान एकल मध्यस्थ और विद्वान एकल न्यायाधीश से पूर्णतः सहमत हैं कि प्रत्यर्थी और CONCOR के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं था। श्री भंभानी जिन विभिन्न खंडों पर भरोसा किए हैं, वे केवल यह निर्धारित करते हैं कि CONCOR से अपीलार्थी द्वारा प्राप्त भुगतान में से, अपीलार्थी प्रत्यर्थी को भुगतान करने से पहले अपना लाभ और कमीशन काटने का हकदार था।* ***इन खंडों की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के निर्देशों के अनुसार और अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी के बीच हुए समझौते के अनुसार किए गए कार्य के लिए भुगतान से वंचित कर दिया जाए, केवल इसलिए कि अपीलार्थी को CONCOR से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।*** *ऐसी कोई भी व्याख्या घोर अन्यायपूर्ण, अनुचित और जनहित के विरुद्ध होगी, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विधिवत रूप से तैयार किए गए द्विपक्षीय अनुबंध के तहत प्रदान की गई सेवाओं और किए गए कार्यों को बिना किसी भुगतान के नि:शुल्क माना जाए। यह कहना आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्याख्या किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार या अनुमोदित नहीं की जा सकती है।* ***संभवतः अपीलार्थी के CONCOR के खिलाफ अपने अधिकार हो सकते हैं, जिसके लिए उसे अलग से मुकदमा चलाना होगा; हालाँकि, CONCOR के खिलाफ अपीलार्थी की शिकायतों को प्रत्यर्थी को प्रभावित करने और उसे घेरने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिससे उत्तरदाता प्रभावी रूप से संकट में पड़ जाए।***
>
> *xxx xxx xxx*
>
> *46. अतः यह स्पष्ट है कि यद्यपि मध्यस्थता पंचाटों में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित और प्रतिबंधित है, फिर भी ऐसा पंचाट जो स्पष्ट*

रूप से अवैध हो, चाहे वह अनुचित हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हो, या अनुबंध की शर्तों की स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य व्याख्या से दूषित हो, उसे निरस्त करना आवश्यक है .."

[ज़ोर दिया गया]

28. एकल मध्यस्थ ने साक्ष्यों और पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध के प्रावधानों की जाँच करने के बाद समझौते की तर्कसंगत व्याख्या की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वयं यह उल्लिखित किया कि *"बैक-टू-बैक"* अनुबंध का निष्कर्ष व्यक्तिपरक है और यह विशिष्ट खंडों की व्याख्या पर आधारित है। अतः विद्वान एकल न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वे साक्ष्यों की विस्तृत जाँच के बाद एकल मध्यस्थ द्वारा की गई तर्कसंगत व्याख्या को निरस्त करने के लिए खंडों की अपनी स्वयं की व्याख्या को प्रतिस्थापित न करें। उपरोक्त उल्लिखित संविदात्मक प्रावधानों की जाँच करने पर, यह न्यायालय एकल मध्यस्थ के निर्णय को अनुचित नहीं पाता है।

29. ***हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचएआई***[3] मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रचलित विचार को दोहराया कि न्यायालयों को सामान्यतः उन मध्यस्थता पंचाटों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो सुविचारित हों और जिनमें तर्कसंगत दृष्टिकोण निहित हो। उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि न्यायाधीश स्वभाव से ही सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ओर प्रवृत्त हो सकते

[3] (2024) 2 SCC 613

हैं, यद्यपि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत यह सुधारात्मक दृष्टिकोण अनुचित है, विशेषकर ए एंड सी अधिनियम की धारा 37 के तहत। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध की व्याख्या में हुई त्रुटियों में लापरवाही से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और न्यायिक हस्तक्षेप से तब तक बचा जाना चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, यह सुनिश्चित करते हुए कि मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी बना रहे। ***हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन*** मामले का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"26. किसी पंचाट की न्यायिक समीक्षा नहीं बल्कि जाँच के मानक के बारे में प्रचलित मत यह है कि विवादकर्ताओं की पसंद के व्यक्तियों द्वारा उनके निर्णय को बरकरार रखा जाए और उसमें हस्तक्षेप न किया जाए (सिवाय एक छोटे से क्षेत्र के जहाँ यह स्थापित हो जाता है कि ऐसा मत स्पष्ट अवैधता या तथ्यों या शर्तों की उनकी व्याख्या पर आधारित है, जो हस्तक्षेप के योग्य होने के लिए विकृत है, न्यायालयों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम हस्तक्षेप का मार्ग चुनना होगा, सिवाय जब बिल्कुल आवश्यक हो)।* ***<u>प्रशिक्षण, झुकाव और अनुभव के आधार पर, न्यायाधीश एक सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं; जिसे आमतौर पर अपीलीय समीक्षा के लिए प्रशंसनीय माना जाता है। हालाँकि, अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय यह दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं होता है। न्यायालय प्राथमिक अनुबंध व्याख्या की प्रक्रिया के माध्यम से उस प्रकार की समीक्षा का मार्ग नहीं बना सकते जो धारा 34 के तहत निषिद्ध है।</u>*** *इस दृष्टि से देखा जाए तो, खंडपीठ का अपीलीय समीक्षा का दृष्टिकोण (धारा 37 के तहत दो बार) और उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के परिणामस्वरूप न्यायाधिकरण के बहुमत के मत और कई मामलों में अन्य न्यायाधिकरणों के सर्वसम्मत मत को विस्थापित कर दिया गया*

तथा उसके स्थान पर एक अन्य मत स्थापित कर दिया गया। जब तक बहुमत द्वारा अपनाया गया मत तर्कसंगत था - और इस न्यायालय को अन्यथा मानने का कोई कारण नहीं मिलता (क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि कार्य पूरा हो चुका था और तैयार तटबंध मिश्रित, संकुचित पदार्थ से बना था, जिसमें मिट्टी और राख दोनों शामिल थे), तब तक ऐसा प्रतिस्थापन अस्वीकार्य था।

*27. **देश की न्यायालयों में लंबे समय से यह स्थापित न्यायशास्त्र है कि जिन पंचाटों में कारण बताए गए हों, विशेषकर जब वे संविदात्मक शर्तों की व्याख्या करते हों, तो उसमें मामूली रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए... "***

[ज़ोर दिया गया]

ए.टी.एस. सहायता के लिए 14,64,203 रुपये का दावा

30. अपीलार्थी ने दावा किया था कि 32वीं तिमाही के लिए देय राशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि *"ई-हेल्थ सूट"* सॉफ्टवेयर की वार्षिक तकनीकी सहायता (ए.टी.एस.) प्रदान नहीं की गई थी, और इसी आधार पर प्रत्यर्थी ने बैंक गारंटी भी भुना ली थी। अपीलार्थी का तर्क था कि समझौते में ई-हेल्थ सूट सॉफ्टवेयर के रखरखाव के लिए कोई अनुबंध नहीं था और यह समझौते की पूरी अवधि के दौरान संतोषजनक ढंग से कार्य करता रहा। हालाँकि, 09.11.2009 को हुई बैठक में जी.ओ.जी. द्वारा इस मुद्दे को उठाने के मद्देनजर, प्रत्यर्थी ने जी.ओ.जी. को ए.टी.एस. प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की, और यह दायित्व अपीलार्थी पर थोप दिया गया।

31. मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी ने यह प्रकथित किया कि जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना की निगरानी खतरे में है और यदि सॉफ़्टवेयर में कोई खराबी आती है तो पूरी जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना ठप हो जाएगी। एकल मध्यस्थ ने पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध की जाँच और व्याख्या की तथा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि इस अतिरिक्त ए.टी.एस. दायित्व के लिए कोई समझौता नहीं था। एकल मध्यस्थ ने बैठक के कार्यवृत्त की भी जाँच की और पाया कि जी.ओ.जी. ने ए.टी.एस. पर ज़ोर दिया था और प्रत्यर्थी ने दबाव और आर्थिक विवशता के तहत सहमति दी थी, क्योंकि उसका भुगतान ए.टी.एस. के अधीन किया गया था। एकल मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने समझौते के तहत जिस बात पर सहमति दी थी, वह पहले से ही निर्धारित थी और जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना बिना किसी खराबी के कार्यशील थी। मध्यस्थता पंचाट के पैराग्राफ 24 और 25, जिनमें ये निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे उद्धृत किए गए हैं:

> *24. ई-हेल्थ सूट के ए.टी.एस./अपग्रेडेशन के अभाव में पिछली तिमाही की राशि जारी नहीं की गई है। इस संबंध में, दावेदार कंपनी के निदेशक श्री पी.एन. जैन ने अपने दिनांक 22.01.2013 के हलफनामे में गवाही दी है कि **अनुबंध में कहीं भी यह उल्लेख नहीं था कि ओ.ई.एम./सी.ए. के साथ रखरखाव का कोई अनुबंध किया जाना है; कि दावेदार कंपनी ने इसका रखरखाव किया और ई-हेल्थ सूट ने पूरी अनुबंध अवधि के दौरान और उसके बाद भी संतोषजनक ढंग से काम किया और इस संबंध में कोई शिकायत नहीं थी।***

*प्रत्यर्थी ने जी.ओ.जी.को दिनांक 03.03.2010 को लिखे अपने पत्र में यह भी कहा है कि वार्षिक तकनीकी सहायता (ए.टी.एस.) समझौते का हिस्सा नहीं थी। **प्रत्यर्थी ने** पीएस/डीएसटी गुजरात राज्य को दिनांक 29.03.2011 को लिखे **अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ए.टी.एस. के संबंध में समझौते के तहत उस पर कोई दायित्व नहीं था, फिर भी कानूनी रूप से देय राशि जारी करने के लिए, जी.ओ.जी. ने एकपक्षीय रूप से वार्षिक तकनीकी सहायता का मुद्दा उठाया, जिस पर प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने दबाव और आर्थिक दबाव में सहमति व्यक्त की।** प्रत्यर्थी ने कभी भी स्वेच्छा से ए.टी.एस. प्रदान करने पर सहमति नहीं दी क्योंकि यह अनुबंध का हिस्सा नहीं था। दिनांक 09.11.2009 की बैठक के कार्यवृत्त से इसकी पुष्टि होती है, जिसमें दर्शाया गया है कि जी.ओ.जी. ने अनुबंध अवधि के अंत तक ए.टी.एस. लेकर नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की शर्त पर रोकी गई राशि को जारी करने पर विचार करने की सहमति दी थी। इन परिस्थितियों में प्रत्यर्थी ने ए.टी.एस. प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी और इसके लिए जी.ओ.जी. ने दिनांक 17.02.2010 को एस.सी.एन. जारी किया था, जिसके जवाब में प्रत्यर्थी ने दिनांक 03.03.2010 को उत्तर भेजा था जिसमें कहा गया था कि ए.टी.एस. समझौते का हिस्सा नहीं था, लेकिन जी.ओ.जी. के निर्देशानुसार, मैसर्स सीए से ए.टी.एस. प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जब दावेदार ने मैसर्स सी.ए. को पत्र लिखा, तो उसने वर्ष 2008 से बीते हुए समय के लिए भी भारी राशि की माँग की, जबकि समझौते की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी।*

अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों में बल है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने 9.11.2009 की बैठक में ए.टी.एस. प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन यह उसका संविदात्मक दायित्व नहीं था और अनुबंध के अंतिम वर्ष में ए.टी.एस. की माँग करना समझ से परे है और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं था तथा कानूनी रूप से इसे उसकी गारंटीकृत देय राशि को रोकने का आधार

*नहीं बनाया जा सकता। **<u>यह भी ध्यान देने योग्य है कि 9.11.2009 की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, जी.ओ.जी. ने ए.टी.एस. पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्यर्थी ने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. निगरानी को गंभीर जोखिम में डाल दिया है, उदाहरण के लिए, यदि सॉफ्टवेयर विफल हो जाता है, तो पूरी जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. निगरानी ठप हो जाएगी, जबकि किसी का भी यह दावा नहीं है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई हो।</u>***

*25. **<u>पक्षकारों के बीच हुए समझौते में याचिकाकर्ता पर ए.टी.एस. प्राप्त करने का कोई दायित्व नहीं है और प्रत्यर्थी ने भी जी.ओ.जी. को लिखे अपने पत्र में यही रुख अपनाया है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2007 में ई-हेल्थ सूट को अपग्रेड किया था जिसे प्रत्यर्थी ने अनुमोदित किया था और इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि इसने अनुबंध अवधि के अंत तक संतोषजनक ढंग से काम किया</u>** और उत्तराधिकारी द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा था। इन परिस्थितियों में अंतिम तिमाही की राशि को रोकना उचित नहीं है।*

[ज़ोर दिया गया]

32. विद्वान एकल न्यायाधीश ने एकल मध्यस्थ के इन निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 09.11.2009 को जी.ओ.जी. के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त [जिसे इसके बाद 'एम.ओ.एम.' कहा गया है] और जी.ओ.जी. तथा प्रत्यर्थी के बीच हुए पत्राचार की जाँच करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ए.टी.एस. उपलब्ध कराने या सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड कराने में विफल रहा और उसने सॉफ़्टवेयर को प्रत्यर्थी को हस्तांतरित नहीं किया, और अंततः यह जी.ओ.जी. के पक्ष में रहा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अपग्रेड किए गए सॉफ़्टवेयर की विफलता के कारण किसी वास्तविक हानि या

खराबी की सूचना न मिलना प्रासंगिक नहीं है और उन्होंने यह निष्कर्ष दिया कि ए.टी.एस. अपीलार्थी का दायित्व था।

33. विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे समझौते की अनुसूची IV के खंड 15 पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि चूँकि सभी सॉफ्टवेयर का हस्तांतरण अपीलार्थी का दायित्व था, इसलिए इस दायित्व में ए.टी.एस. प्रदान करना भी शामिल था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एम.ओ.एम. और 17.11.2009 और 18.01.2010 को जी.ओ.जी. द्वारा भेजे गए पत्रों की व्याख्या करते हुए अभिनिर्धारित किया कि ए.टी.एस. प्रदान करना अपीलार्थी का दायित्व था, और एकल मध्यस्थ द्वारा उसे दिए गए 14,64,203 रुपये के दावे को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ए.टी.एस. के लिए अपीलार्थी को देय भुगतानों से काटी गई 14,64,203 रुपये की राशि को अपने पास रखने का हकदार है। आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> *"60. मैं उपरोक्त निष्कर्षों से सहमत नहीं हूँ। **जी.ओ.जी., याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच हुए पत्राचार और 09.11.2009 तथा 23.04.2010 को हुई बैठकों के कार्यवृत्त से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जी.ओ.जी., जी.ओ.जी. को हस्तांतरण के प्रयोजनों के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर जोर दे रहा था।** प्रत्यर्थी द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्यर्थी का यह कहना है कि सॉफ्टवेयर को जी.ओ.जी. को हस्तांतरित कर दिया गया था।*

दिनांक 28.01.2010 के पत्र में प्रत्यर्थी ने कहा था कि उसने सॉफ्टवेयर के मालिक मैसर्स सी.ए. से ए.टी.एस. लेने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह दावा कि प्रत्यर्थी का प्रतिनिधि न केवल 23.04.2010 को हुई बैठक में उपस्थित था, ***बल्कि उसने सॉफ्टवेयर का अद्यतन और अपग्रेडेड लाइसेंस प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की थी****, प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि जी.ओ.जी. ने बाद के चरण में सॉफ्टवेयर के उन्नत संस्करण पर जोर नहीं दिया या याचिकाकर्ता को भुगतान जारी नहीं किया।*

61. ऊपर उल्लिखित ***समझौते के खंड 15*** *के अनुसार, प्रत्यर्थी का यह दायित्व था कि वह सभी सॉफ़्टवेयर याचिकाकर्ता के पक्ष में हस्तांतरित करे।*

62. ***09.11.2009 को हुई बैठक में****, जिसमें प्रत्यर्थी के सी.ई.ओ. श्री पी.एन. जैन, जी.ओ.जी. के प्रतिनिधि और याचिकाकर्ता भी उपस्थित थे,* ***जी.ओ.जी. ने याचिकाकर्ता/प्रत्यर्थी से सॉफ़्टवेयर के लिए ए.टी.एस. लेने पर जोर दिया****, क्योंकि ऐसा न करने से जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. निगरानी को गंभीर खतरा हो सकता है...*

xx xx xx

67. ***हालाँकि****, प्रत्यर्थी ने* ***ए.टी.एस. नहीं लिया और न ही सॉफ़्टवेयर को अपग्रेड करवाया, बल्कि 26.07.2010 के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि मैसर्स सी.ए. इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में लाइसेंस की कोई हार्डकॉपी जारी नहीं की गई है और लाइसेंस स्वयं सॉफ़्टवेयर का ही हिस्सा है।***

xx xx xx

71. उपरोक्त पत्राचार के आदान-प्रदान से यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था कि वह सॉफ़्टवेयर के लिए ए.टी.एस. लेने के लिए उत्तरदायी नहीं

*है, फिर भी जी.ओ.जी. ने इस बात का पुरजोर खंडन किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि समझौते के अनुसार सॉफ़्टवेयर का उन्नत संस्करण उसके नाम पर स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था। इस ज़ोर में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। यह तथ्य कि प्रत्यर्थी द्वारा ए.टी.एस. या उन्नत सॉफ़्टवेयर न लेने के कारण कोई वास्तविक हानि या खराबी दर्ज नहीं की गई, प्रासंगिक नहीं है। **<u>एक बार जब प्रत्यर्थी पर ऐसा दायित्व आ जाता है, तो वह इस दायित्व से बच नहीं सकता था।</u>***

[ज़ोर दिया गया]

34. हम इससे सहमत नहीं हैं। समझौते में यह प्रावधान था कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच हुए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध के आधार पर उप-परामर्श का कार्य करेगा। हालाँकि, अनुसूची III (कार्यक्षेत्र) में ए.टी.एस. या किसी भी वार्षिक तकनीकी सेवाओं का कोई प्रावधान नहीं था, जिसे उपर पैराग्राफ 21.1 में उद्धृत किया गया है। समझौते की अनुसूची IV का खंड 15 केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। यह सॉफ्टवेयर के रखरखाव के प्रावधान से अलग है और समझौते की अनुसूची IV के खंड 15 में शामिल नहीं है, जो इस प्रकार है:

"15. स्वामित्व का हस्तांतरण

समझौते/सेवा की समाप्ति पर या 8 वर्षों के अंत में, उप-परामर्शदाता बिना किसी दायित्व के सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनुअल, टाइटल और अन्य संबंधित कार्यों को टी.सी.आई.एल. को हस्तांतरित करेगा।"

34.1 सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मैनुअल के हस्तांतरण में सॉफ्टवेयर का वार्षिक रखरखाव शामिल नहीं है, जो कि 8 साल के अनुबंध की अवधि के बिल्कुल अंत में प्रत्यर्थी द्वारा सहमत एक अतिरिक्त दायित्व है।

35. इस न्यायालय ने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध की भी जाँच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर प्रणाली के वार्षिक रखरखाव के प्रावधान के लिए कोई खंड है या नहीं। जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध की अनुसूची III (कार्यक्षेत्र) का खंड 1 *"परिचालनात्मक प्रदर्शन"* की निगरानी करने और नेटवर्क प्रदर्शन के लिए सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीद करने से संबंधित था। अनुबंध के अंतिम वर्ष में अतिरिक्त या अद्यतन सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने का दायित्व नहीं था, न ही सॉफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के प्रावधान के लिए कोई खंड मौजूद था। निर्विवाद रूप से, अनुबंध के अंतिम कुछ महीनों में, जी.ओ.जी. ने प्रत्यर्थी से सॉफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव की व्यवस्था करने की अपेक्षा की थी।

36. न्यायालय द्वारा एम.ओ.एम. और जी.ओ.जी. द्वारा प्रत्यर्थी को दिनांक 17.11.2009 को भेजे गए पत्र [जिसे इसके बाद "17.11.2009 का पत्र" कहा गया है] की भी जाँच की गई है। एम.ओ.एम. में दर्ज है कि जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। अपीलार्थी का एक प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित था।

एम.ओ.एम. के पैराग्राफ 4 में प्रत्यर्थी के रोके गए त्रैमासिक भुगतान जारी करने के मुद्दे पर चर्चा की गई है, जबकि एम.ओ.एम. के पैराग्राफ 5 में प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए ई-हेल्थ सूट उत्पादों के लिए ए.टी.एस. पर भी चर्चा की गई है।

36.1 एम.ओ.एम. में दर्ज है कि प्रत्यर्थी ने जी.ओ.जी.की आवश्यकता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद राशि (भुगतान) जारी करने का अनुरोध किया है। प्रत्यर्थी ने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि दंड कटौती तिमाही राशि के 5% से अधिक नहीं हो सकती और अतिरिक्त कटौती की गई राशि प्रत्यर्थी को जारी कर दी जानी चाहिए। हालाँकि, एम.ओ.एम. में यह दर्ज है कि जी.ओ.जी. प्रत्यर्थी द्वारा जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क के अद्यतन और अनुबंध अवधि समाप्त होने तक ए.टी.एस. का कार्य करने के अधीन रोकी गई राशि जारी करने पर विचार करेगा। इसमें यह भी दर्ज है कि प्रत्यर्थी लापता उपकरण की लागत का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। एम.ओ.एम. का खंड 4 नीचे दिया गया है:

> ***"4. टी.सी.आई.एल. के त्रैमासिक भुगतान से काटी गई राशि को जारी करना:***
>
> - *जुर्माना/रोकी गई राशि:* *ई.डी. (टी) ने* ***टी.सी.आई.एल. के त्रैमासिक भुगतानों से काटी गई पूरी राशि जारी करने का अनुरोध किया, क्योंकि टी.सी.आई.एल. जी.ओ.जी. की आवश्यकताओं और टी.सी.आई.एल. तथा सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी और कर रही है।*** *सचिव (डी.एस.टी.) ने उल्लेख किया*

*कि **<u>जुर्माने के रूप में काटी गई राशि त्रैमासिक राशि के 5% से अधिक नहीं हो सकती, जिसके लिए जी.ओ.जी. ने टी.सी.आई.एल. से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त काटी गई राशि जारी करने पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की।</u>** सचिव (डी.एस.टी.) ने यह भी कहा कि **<u>जी.ओ.जी. रोकी गई राशि को जारी करने पर विचार करेगी, बशर्ते टी.सी.आई.एल. (i) अनुबंध की समाप्ति अवधि तक वार्षिक तकनीकी सहायता (ए.टी.एस.) लेकर नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (जो पहले से ही कार्यरत है) को अपडेट करे और (ii) खो गए टी.यू.एल.आई.पी./एन.आई.सी. उपकरण की लागत का एक-तिहाई भुगतान करे</u>**।*

- *<u>बकाया सेवा कर:</u> जी.ओ.जी. इसे जारी करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।*
- *<u>अधिक काटा गया टी.डी.एस.:</u> जी.ओ.जी. इसे जारी करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।*

[ज़ोर दिया गया]

37. ए.टी.एस. के पहलू पर, एम.ओ.एम. ने रिकॉर्ड किया है कि प्रत्यर्थी "ई-हेल्थ सुइट" उत्पादों के लिए तत्काल ए.टी.एस. प्राप्त करने और उन्हें नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करने और 15.04.2010 तक रखरखाव रखने के लिए सहमत हो गया है। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

"5. सी.ए. ई-हेल्थ सूट उत्पादों का वार्षिक तकनीकी सहायता (नवीनीकरण, उन्नयन और समर्थन):

समझौते के अनुसार टी.सी.आई.एल. द्वारा प्रदान किए जाने वाले सी.ए. ई-हेल्थ सूट उत्पादों के वार्षिक तकनीकी सहायता (नवीनीकरण,

*अपग्रेडेशन और समर्थन) के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। सचिव डी.एस.टी. ने सूचित किया कि कि टी.सी.आई.एल. द्वारा फरवरी 2007 में खरीदे गए सी.ए. ई-हेल्थ उत्पादों को पिछले 2 वर्षों से अपग्रेड नहीं किया गया है। **सी.ए. हेल्थ सूट के सॉफ्टवेयर प्रदाता से वार्षिक तकनीकी सहायता न मिलने के कारण, मैसर्स टी.सी.आई.एल. ने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. मॉनिटरिंग को गंभीर जोखिम में डाल दिया है।** उदाहरण के लिए, यदि सॉफ्टवेयर में कोई खराबी आती है, तो पूरी जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. मॉनिटरिंग ठप हो जाएगी और गुजरात सरकार BOOT ऑपरेटर के साथ एसएलए की निगरानी नहीं कर पाएगी। इसलिए, **टी.सी.आई.एल. के ई.डी.(टी) ने सी.ए. ई-हेल्थ सूट उत्पादों के लिए टी.सी.आई.एल. द्वारा स्थापित नवीनतम संस्करण में वार्षिक तकनीकी सहायता (नवीनीकरण, उन्नयन और समर्थन) तुरंत प्राप्त करने और इसे 15/4/2010 तक बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।"***

[ज़ोर दिया गया]

38. एम.ओ.एम. के पैराग्राफ 4 से यह स्पष्ट है कि जी.ओ.जी. ने प्रत्यर्थी पर देय राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त दायित्वों को स्वीकार करने की एकतरफा शर्त लगाई थी, और प्रत्यर्थी ने इस दायित्व को स्वीकार कर लिया था। हालाँकि यह प्रत्यर्थी और जी.ओ.जी. के बीच अनुबंध में संशोधन का प्रभाव हो सकता है, लेकिन ऐसी शर्त लगाना स्पष्ट रूप से अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच समझौते का हिस्सा नहीं हो सकता था क्योंकि यह शर्त प्रत्यर्थी पर 09.11.2009 को लगाई गई थी जबकि समझौता अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच 18.04.2002 को निष्पादित

किया गया था। एम.ओ.एम. में अपीलार्थी की कोई भी सहमति/स्वीकृति दर्ज नहीं है।

38.1 एम.ओ.एम. के पैराग्राफ 5 में दर्ज है कि प्रत्यर्थी वार्षिक तकनीकी सहायता (ए.टी.एस.) प्राप्त करने और "ई-हेल्थ सूट" उत्पादों को नवीनतम संस्करण में अपग्रेड करने और 15.04.2010 तक उन्हें बनाए रखने के लिए सहमत हुआ था। यह शर्त बाद में अपीलार्थी पर थोपी गई और ऐसा करने में उसकी विफलता के कारण उसका भुगतान रोक दिया गया और कटौती की गई।

39. अपीलार्थी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को स्थापना के समय अपडेटेड रूप में प्रदान किया था और सिस्टम चालू था। यदि जी.ओ.जी. को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती, तो वे संशोधन के लिए बातचीत करते। इसके बजाय, उन्होंने पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी से वही सहायता प्रदान करने पर जोर दिया।

40. प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए 17.11.2009 का पत्र जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के बीच एक पारस्परिक पत्र है, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट किया गया है कि ई-हेल्थ सूट सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में, जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. निगरानी प्रणाली खतरे में थी। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी ने जी.पी.जी. के लिए अतिरिक्त कार्य करने पर सहमति व्यक्त की थी, हालाँकि, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच उनके समझौते

में इस संशोधन के लिए कोई *"बैक-टू-बैक"* समझौता नहीं हुआ था, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मैनुअल के प्रावधान के लिए था। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम एकल मध्यस्थ के निष्कर्षों को उचित पाते हैं।

32वीं तिमाही के लिए दावा

41. जहाँ तक 32वीं तिमाही के लिए देय राशि के भुगतान के दावे का संबंध है, एकल मध्यस्थ ने पाया कि उक्त भुगतान भी "गारंटीकृत भुगतान" के अंतर्गत आएगा। एकल मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 11.04.2002 को निष्पादित आशय पत्र और समझौते की अनुसूची I और अनुसूची IV के खंड 11 पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि भुगतान गारंटीकृत था और प्रत्यर्थी द्वारा जी.ओ.जी. से भुगतान की प्राप्ति पर आधारित नहीं था। मध्यस्थता पंचाट का प्रासंगिक अंश, जिसमें 32वीं तिमाही के भुगतान पर चर्चा की गई है, नीचे दिया गया है:

> *"18. **दिनांक 11.04.2002 के आशय पत्र** के अनुसार, याचिकाकर्ता को जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन./एस.सी.ए.एन. के तृतीय पक्षकार के निरीक्षण करने के लिए उप-सलाहकार के रूप में **35 लाख रुपये के त्रैमासिक गारंटीकृत भुगतान की दर** पर चुना गया था, जैसा कि बातचीत के बाद **सहमति हुई थी**, और उसे तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करने और तुरंत परिदेय देने और कार्य-संपादन के लिए इंजीनियरों को नियुक्त करने के लिए कहा गया था। **दिनांक 18.04.2002 के समझौते की अनुसूची I में यह निर्धारित है कि याचिकाकर्ता 8 वर्षों या 32 तिमाहियों की अवधि के लिए प्रत्येक तिमाही में 35 लाख रुपये उप-***

परामर्श शुल्क के रूप में लेगा और भुगतान अनुसूची के अनुसार गारंटीकृत राजस्व भुगतान शीर्षक वाले खंड 11 (भुगतान शर्तें) *के अनुसार किया जाएगा, जिसमें भुगतान की प्रक्रिया इस प्रकार बताई गई है कि एन.जी.बी.पी.एस.एल. प्रत्येक तिमाही के अंत में चालान और सहायक दस्तावेजों, जैसे कार्य-निष्पादन आँकड़ा, नेटवर्क मापदंडों का लॉग, सेवा डाउनटाइम गणना और अपटाइम प्रतिशत तथा जी.ओ.जी. को स्वीकार्य सेवा प्रदर्शन के समर्थन में आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान का अनुरोध करेगा, जिसके आधार पर टी.सी.आई.एल. एक सप्ताह के भीतर जी.ओ.जी. को बिल प्रस्तुत करेगा और जी.ओ.जी. से टी.सी.आई.एल. को भुगतान प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान जारी कर दिया जाएगा। खंड 11 के चौथे उप-पैराग्राफ में "टी.सी.आई.एल. द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर" शब्दों का समावेश स्पष्ट रूप से अनुचित है, क्योंकि इस उप-पैराग्राफ में याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए अनुरोध करने का उल्लेख है, जिसके लिए चालान और सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।* ***इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को भुगतान टी.सी.आई.एल. द्वारा जी.ओ.जी. से भुगतान प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। "टी.सी.आई.एल. द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर" शब्दों को 'केवल तभी' या 'केवल यदि' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता जब टी.सी.आई.एल. को भुगतान प्राप्त हो जाए***।

आशय पत्र और समझौते में "गारंटीकृत भुगतान" शब्द का प्रयोग पक्षकारों के आशय को स्पष्ट करता है और इसका टी.सी.आई.एल. द्वारा जी.ओ.जी. से प्राप्त होने वाले भुगतानों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें याचिकाकर्ता को भुगतान जारी करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। *पक्षकारों के बीच हुए समझौते में जो शब्द नहीं हैं, उनका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 28(3) यह अधिदेश करती है कि सभी मामलों में मध्यस्थ न्यायाधिकरण पक्षकारों के बीच*

हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेगा। ***<u>पक्षकारों के बीच दिनांक 18.04.2002 को हुए अनुबंध में याचिकाकर्ता को गारंटीकृत राजस्व भुगतान जारी करना प्रत्यर्थी द्वारा अपने मूलधन से भुगतान प्राप्त होने पर निर्भर नहीं है। पक्षकारों के बीच हुए समझौते में भुगतान खंड में "गारंटीकृत" शब्द को जोड़ने का उचित अर्थ/महत्व दिया जाना चाहिए।</u>***

19. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया है कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते की अनुसूची II के अनुसार, टी.सी.आई.एल. और उसके मुख्य जी.ओ.जी. के बीच हुए समझौते को, पक्षकारों के बीच हुए समझौते में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अतिरिक्त, समझौते का हिस्सा बनाया गया है और खंड 11 के अनुसार, गारंटीकृत राजस्व भुगतान इस समझौते की शर्तों को लागू करने और टी.सी.आई.एल. तथा उसके उपयोगकर्ता संगठनों को संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिफल है। रिकॉर्ड में जी.ओ.जी. के पत्र मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि प्रदान की गई सेवाएँ संतोषजनक नहीं थीं। ये पत्र जी.ओ.जी. द्वारा टी.सी.आई.एल. को लिखे गए थे, जिन्होंने बदले में इन्हें याचिकाकर्ता को सूचित किया, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को टी.सी.आई.एल. द्वारा अग्रेषित किए जाने के बावजूद, उसके मुख्य जी.ओ.जी. ने जुर्माना लगाया और राशि रोक ली। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी और उसके मालिक के बीच हुए समझौते का पक्षकार नहीं है, और यद्यपि उनके बीच हुए समझौते को पक्षकारों के बीच हुए समझौते का हिस्सा बना दिया गया है, फिर भी इस मामले के पक्षकारों के बीच दिनांक 18.04.2002 को हुए समझौते में इस संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं, जो पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करेंगे और प्रत्यर्थी और उसके मालिक के बीच इस संबंध में किसी भी शर्त पर अधिभावी होंगे।

[ज़ोर दिया गया]

42. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि चूँकि इस पहलू पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए इस मुद्दे को उचित मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकारों के लिए स्वतंत्र छोड़ना उचित होगा, क्योंकि 32वीं तिमाही की ज़ब्ती के लिए दंड और लागत के रूप में कटौती योग्य सटीक कारणों और राशियों पर एकल मध्यस्थ द्वारा अलग से निपटान नहीं किया गया है। आक्षेपित निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

> *77. उपरोक्त तथ्य एकल मध्यस्थ द्वारा दर्ज किए जाने के बाद, इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, साथ ही, मैंने पहले ही यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता/जी.ओ.जी. को सॉफ्टवेयर हस्तांतरित नहीं किया गया था। मध्यस्थ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि सॉफ्टवेयर के अपग्रेड न होने के कारण भी प्रत्यर्थी ने समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, याचिकाकर्ता/जी.ओ.जी. को ई-हेल्थ सूट सॉफ्टवेयर के अपग्रेड न होने/हस्तांतरण न होने के कारण हुए नुकसान की मात्रा निर्धारित नहीं की है, जिसे पूरी राशि रोके रखने के कारणों में से एक बताया गया है। **इसके अलावा, चूँकि सभी सटीक कारण और पूरी तिमाही राशि को जब्त करने के लिए दंड/लागत के रूप में कटौती योग्य राशि को मध्यस्थ द्वारा अलग से निपटान नहीं किया गया है, और इस न्यायालय का अधिनियम की धारा 34 के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र होने के कारण, मैं 32वीं तिमाही के लिए देय राशि के मुद्दे को उचित मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार(पक्षकारों) द्वारा उठाने के लिए स्वतंत्र छोड़ना उचित समझता हूँ।"***
>
> [ज़ोर दिया गया]

43. हम इस पहलू पर भी विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं। एकल मध्यस्थ ने अनुबंध की अनुसूची IV के खंड 11 की व्याख्या की, जिसमें प्रत्येक तिमाही के लिए अनुसूची I के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के भुगतान का प्रावधान है, और यह अभिनिर्धारित किया कि दावेदार (अपीलार्थी) 32वीं तिमाही के लिए अपने परामर्श शुल्क की माँग कर रहा है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एकल मध्यस्थ ने अनुबंध और प्रत्यर्थी तथा जी.ओ.जी. के बीच जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के लिए हुए जी.एस.डब्ल्यू.ए.एन. अनुबंध की जाँच की और पाया कि प्रत्यर्थी पर एक अतिरिक्त दायित्व था जो अनुबंध में उल्लिखित नहीं था। इसके अतिरिक्त, एकल मध्यस्थ ने अनुबंध की अनुसूची I के खंड 11 की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि खंड में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को भुगतान जी.ओ.जी. से प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर ही किया जाएगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि "टी.सी.आई.एल. द्वारा भुगतान प्राप्त होने पर" शब्दों को "केवल तभी" या "केवल यदि" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता जब प्रत्यर्थी को भुगतान प्राप्त हो। एकल मध्यस्थ ने आगे पाया कि गारंटीकृत भुगतान शब्द पक्षकारों के आशय को निर्दिष्ट करता है और इसे जी.ओ.जी. से प्राप्त भुगतानों के अधीन नहीं किया गया है और इस प्रकार इसका भुगतान किया जाना है।

43.1 इस न्यायालय ने दोनों समझौतों की भी जाँच की है और समझौते की अनुसूची I, जो पारिश्रमिक की अनुसूची और उसके उपखंड हैं, की जाँच करने पर पाया है कि अनुसूची IV के खंड 11 में प्रयुक्त और समझौते की अनुसूची I में संदर्भित "गारंटीकृत भुगतान" शब्द की व्याख्या इस समझ को दर्शाती है।

44. एकल मध्यस्थ ने समझौते की शर्तों की व्याख्या की और अपनी व्याख्या के आधार पर यह राशि प्रदान की है। यह व्याख्या न तो विकृत है और न ही स्पष्ट रूप से अवैध है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, जी.ओ.जी. और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध को जी.ओ.जी. द्वारा एकपक्षीय रूप से संशोधित किया गया था, जिसके बाद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी पर ये दायित्व थोपने का प्रयास किया। एकल मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रावधानों और प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच की और पाया कि ये अतिरिक्त दायित्व समझौते का हिस्सा नहीं थे और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी अपने गारंटीकृत भुगतान का हकदार है। अतः, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि इस पहलू पर न्यायनिर्णयन हो चुका है और आगे की जाँच की आवश्यकता नहीं है।

<u>निष्कर्ष</u>

45. किसी पंचाट को उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली स्पष्टतः अवैधता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी चुनौती कानून के गलत प्रयोग

या साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर न हो। उच्चतम न्यायालय ने ***डी.एम.आर.सी. लिमिटेड बनाम दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस पी. (लिमिटेड)***[4] में ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 के तहत न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> *"34. धारा 34 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा किसी निर्णय को अपास्त करने की शक्ति की सीमाओं का इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट की गई है।* ***धारा 34(2) में निर्धारित उन आधारों के अतिरिक्त जिन पर मध्यस्थता पंचाट को चुनौती दी जा सकती है, घरेलू निर्णयों, जैसे कि वर्तमान मामले में निर्णय, को चुनौती देने का एक अन्य आधार भी है।*** *मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34(2-क) के तहत,* ***किसी घरेलू निर्णय को अपास्त किया जा सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि वह निर्णय में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली "स्पष्ट अवैधता" से दूषित है।"***
>
> *35.* ***एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डी.डी.ए. [एसोसिएट बिल्डर्स बनाम डी.डी.ए., (2015) 3 एस.सी.सी. 49 : (2015) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 204] में****, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि* ***यद्यपि किसी अनुबंध की व्याख्या पूरी तरह से मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में है, फिर भी किसी अनुबंध की ऐसी व्याख्या करना जो किसी भी निष्पक्ष या तर्कसंगत व्यक्ति द्वारा न अपनाई जाए, अस्वीकार्य है। स्पष्ट अवैधता तब उत्पन्न होती है जब मध्यस्थ ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है जो संभव नहीं है। किसी दृष्टिकोण को संभव भी नहीं माना जा सकता है यदि कोई भी तर्कसंगत समूह उसे नहीं अपना सकता है।*** *इस न्यायालय ने धारा 28(1)(क) और 28(3) के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों और लेन-देन पर लागू व्यापार के प्रथाओं को ध्यान में रखना चाहिए।*

[4] (2024) 6 SCC 357

निर्णय या पंचाट विकृत या अतार्किक नहीं होना चाहिए। पंचाट विकृत या अतार्किक तब माना जाता है जब निष्कर्ष निम्नलिखित हों:

(i) बिना किसी साक्ष्य के;

(ii) अप्रासंगिक सामग्री पर आधारित; या

(iii) महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी करता है।

*36. **स्पष्ट अवैधता तब भी उत्पन्न हो सकती है जब पंचाट मध्यस्थता क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो,** उदाहरण के लिए जब पंचाट में कोई कारण ही न बताया गया हो, जिससे उसे तर्कहीन कहा जा सके।*

[ज़ोर दिया गया]

46. ऊपर उल्लिखित, मध्यस्थता पंचाट की जाँच से हमें यह नहीं पता चलता कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत हस्तक्षेप करने के आधार पाए गए हैं। मध्यस्थता पंचाट पक्षकारों के बीच अनुबंध की व्याख्या और प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच पर आधारित है और न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। जहाँ मध्यस्थ ने अपने समक्ष रखे गए साक्ष्यों और सामग्री का आकलन किया है, वहाँ न्यायालय निर्णय पर आपत्तियों पर विचार करते समय अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और न ही साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन और पुन: आकलन करता है। जब तक कोई स्पष्ट अवैधता या विकृति न हो, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। केवल इसलिए कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है, न्यायालय निर्णय पर रोक नहीं लगाएगा। न्यायालयों को

केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसा निर्णय ए एंड सी अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत *"अक्षम्य विकृति"* को दर्शाता हो। ***डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड***[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

47. किसी एकल मध्यस्थ द्वारा किसी खंड की मात्र गलत व्याख्या से स्पष्ट अवैधता के आधार पर पंचाट में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। विकृति ऐसी होनी चाहिए जो मामले की जड़ तक जाती हो।

48. वर्तमान मामले में, एकल मध्यस्थ ने पक्षकारों के बीच संविदात्मक प्रावधानों की जाँच करने के बाद पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा *'बैंक टू बैंक व्यवस्थाओं'* का हवाला देते हुए की गई कटौतियाँ उचित नहीं थीं। एकल मध्यस्थ ने यह भी पाया कि प्रत्यर्थी अनुबंध की अनुसूची IV के खंड 3, 4 और 6 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलार्थी को गारंटीकृत त्रैमासिक भुगतानों से राशि रोकने का हकदार नहीं है। एकल मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने कार्य निष्पादन में विफलता के कारण अनुबंध के उक्त खंडों का कभी भी उपयोग नहीं किया और इसलिए वह अपीलार्थी के त्रैमासिक भुगतानों से कटौती करने का हकदार नहीं है। इस न्यायालय ने अपीलार्थी को अनुबंध की अनुसूची I और अनुसूची IV के अनुसार *"गारंटीकृत राजस्व"* भुगतान का हकदार पाया है।

[5] (2019) SCC OnLine SC 1656

अपीलार्थी के 32वीं तिमाही के भुगतान में कटौती के संबंध में, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई कटौतियों को भी अनुचित पाया है। इसके अतिरिक्त, एकल मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि समझौते में रखरखाव के किसी अनुबंध का प्रावधान नहीं था और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी पर लगाया गया अधिरोपण एकपक्षीय था।

49. उपरोक्त चर्चाओं को देखते हुए, यह न्यायालय मध्यस्थता पंचाट में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाता है। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है।

50. अपील मंजूर की जाती है। हालाँकि, परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

न्या. तारा वितस्ता गंजू

ए.सी.जे. विभु बखरू,

21 जनवरी, 2025/आर./एच.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*